उत्तर प्रदेश शासन
परिवहन अनुभाग-4

संख्या-1587/तीस-4-2014-8(79)/2013
लखनऊ: 27 जनवरी, 2015

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश साधारण खण्ड अधिनियम, 1904 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 1, सन् 1904) की धारा 21 के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21, सन् 1997) की धारा 4 की उप धारा (1) के तृतीय परन्तुक के अधीन शक्ति का प्रयोग करके श्री राज्यपाल परिवहन यान से भिन्न मोटर यानों के लिये अधिसूचना के लाये जाने के दिनांक से मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन पुनः पंजीयन के समय ग्रीन टैक्स (हरित कर) की दर, ऐसे यान के पंजीयन के समय देय एकबारीय कर का, 10 प्रतिशत नियत करते हैं।

आज्ञा से,

(कुमार अरविन्द सिंह देव)
प्रमुख सचिव।

संख्या-1587(1)/तीस-4-2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि संयुक्त निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि कृपया इस अधिसूचना को दिनांक जनवरी, 2015 के असाधारण गजट के परिशिष्ट, भाग-4, खण्ड (क) (सामान्य परिनियम नियम) में प्रकाशित करवाने तथा प्रकाशित अधिसूचना की 500 प्रतियाँ परिवहन अनुभाग-4, कक्ष संख्या-320, बापू भवन, उत्तर प्रदेश सचिवालय को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)
अनु सचिव।

संख्या-1587(2)/तीस-4-2014 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
2- समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश (द्वारा परिवहन आयुक्त)।
4- विधायी अनुभाग-1
5- सचिव, भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1-संसद मार्ग, नई दिल्ली।
6- अध्यक्ष, स्टेट ट्रासंपोर्ट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(संतोष कुमार रावत)

612

क्रम सं०–148

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2011–13
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग–1, खण्ड (क)
(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, बुधवार, 9 जुलाई, 2014
आषाढ़ 18, 1936 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश सरकार
विधायी अनुभाग–1

संख्या 872/79-वि-1–14-1(क)-14-2014
लखनऊ, 9 जुलाई, 2014

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन राज्यपाल महोदय ने उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 पर दिनांक 8 जुलाई, 2014 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 9 सन् 2014 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2014
(उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 9 सन् 2014)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के पैसठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :–

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1–(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2014 कहा जायेगा।

(2) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जैसा राज्य सरकार गजट में अधिसूचना द्वारा नियत करे।

182 Vidhaika data 2 vidhaika folder

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997 की धारा 2 का संशोधन

2—उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (घ) के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"(घ–1) 'ग्रीन टैक्स' का तात्पर्य धारा 4 की उपधारा (1) के परन्तुक के अधीन अधिरोपित कर से है।"

धारा 4 का संशोधन

3—मूल अधिनियम की धारा 4 में, उपधारा (1) में द्वितीय परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक बढ़ा दिया जायेगा, अर्थात् :—

"परन्तु यह भी कि उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) अधिनियम, 2014 के प्रारम्भ होने के दिनांक से परिवहन यान से भिन्न किसी मोटरयान का मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन पंजीयन की वैधता समाप्त होने के पश्चात् किसी सार्वजनिक स्थान पर उपयोग नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे मोटरयान के सम्बन्ध में लागू दर पर ग्रीन टैक्स, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, का भुगतान न कर दिया गया हो।"

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1997 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 21 सन् 1997) का अधिनियमन राज्य में मोटरयानों पर कर का आरोपण करने और किराये के लिये यात्रियों और माल के परिवहन में लगे हुए मोटरयानों पर अतिरिक्त कर का आरोपण करने की व्यवस्था करने के लिए किया गया है। धारा 4 की उपधारा (1) में यह प्रावधान है कि परिवहन यान से भिन्न किसी मोटरयान का उपयोग उत्तर प्रदेश में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसे मोटरयान के सम्बन्ध में लागू दर पर एक बार देय कर का, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, भुगतान न कर दिया गया हो। उक्त उपधारा के परन्तुक में प्रावधान है कि किसी पुराने मोटरयान के सम्बन्ध में, एक बार देय कर का भुगतान करने के बजाय ऐसे मोटरयान पर लागू दर पर वार्षिक कर, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा गजट में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, भुगतान किया जा सकता है।

पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने और कर से प्राप्त होने वाले राजस्व का उपयोग पर्यावरण संरक्षण के लिए करने के उद्देश्य से यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके उक्त परन्तुक के अधीन कर देयता की परिधि में लाये गये पुराने मोटरयानों पर लगने वाले वार्षिक कर को 'ग्रीन टैक्स' का नाम दिया जाय और उसे परिभाषित किया जाय और यह व्यवस्था की जाय कि परिवहन यान से भिन्न किसी मोटरयान का मोटरयान अधिनियम, 1988 के अधीन पंजीयन की वैधता समाप्त होने के पश्चात् किसी सार्वजनिक स्थान पर उपयोग नहीं किया जायेगा, जब तक कि ऐसे मोटरयान के सम्बन्ध में लागू दर पर ग्रीन टैक्स, जैसा कि राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाय, का भुगतान न कर दिया गया हो।

तदनुसार उत्तर प्रदेश मोटरयान कराधान (संशोधन) विधेयक, 2014 पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
एस० बी० सिंह,
प्रमुख सचिव।

No. 872(2)/LXXIX-V-1–14-1(Ka)-14-2014

Dated Lucknow, July 9, 2014

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Motoryan Karadhan (Sanshodhan) Adhiniyam, 2014 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 9 of 2014) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the Governor on July 8, 2014.

THE UTTAR PRADESH MOTOR VEHICLES TAXATION (AMENDMENT) ACT, 2014

(U.P. ACT NO. 9 OF 2014)

[As passed by the Uttar Pradesh Legislature]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows :–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2014.

(2) It shall come into force on such date as the State Government may by notification in the *Gazette*, appoint.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 21 of 1997

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 hereinafter referred to as the principal Act, *after* clause (d) the following clause shall be *inserted*, namely:–

"(d-1). 'Green tax' means a tax imposed under the proviso to sub-section (1) of section 4. "

Amendment of section 4

3. In section 4 of the principal Act, in sub-section (1) *after* the second proviso the following proviso shall be *inserted*, namely :-

"Provided also that from the date of commencement of the Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Act, 2014 no motor vehicle other than a transport vehicle shall be used in any public place after the expiry of validity of registration under the Motor Vehicles Act, 1988 unless a green tax at the rate applicable to such motor vehicles as may be specified by notification, by the State Government has been paid in respect thereof."

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation Act, 1997 (U.P. Act no. 21 of 1997) has been enacted to provide for the imposition of tax in the State on motor vehicles and additional tax on motor vehicles engaged in the transport of passengers and goods for hire. Sub-section (1) of section 4 provides that no motor vehicle other than a transport vehicle shall be used in public place in Uttar Pradesh unless a onetime tax at the rate applicable in respect of such motor vehicles as may be specified by State Government by notification in the *Gazette* has been paid in respect thereof. The proviso to the said sub-section provides that in respect of an old motor vehicle instead of an onetime tax, annual tax applicable to such motor vehicles as may be specified by the State Government by notification in the *Gazette* may be paid.

With view to controlling the environmental pollution and to utilize revenue received from the tax for the protection of environment, it has been decided to amend the said Act to name and define the annual tax on old motor vehicles empowered to be imposed under the said proviso as the "Green Tax" and to provide that no motor vehicle other than a transport vehicle shall be used in any public place after the expiry of validity of registration under the Motor Vehicle Act, 1988 unless a green tax at the rate applicable to such motor vehicle as may be specified by notification by the State Government, has been paid in respect thereof.

The Uttar Pradesh Motor Vehicles Taxation (Amendment) Bill, 2014 is introduced accordingly.

By order,

S. B. SINGH,

Pramukh Sachiv.

पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 182 राजपत्र (हि०)–2014–(516)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / आफसेट)।
पी०एस०यू०पी०–ए०पी० 53 सा० विधा०–2014–(517)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / आफसेट)।